Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

मैसर्स वण्डर सीमेंट वर्क्स, निम्बाहेडा बनाम **संतोषीबाई**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना–पत्र** नं0 **014** सन **2022**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.05.2022	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थीया की तलबी लेने से मना के नोट के साथ प्राप्त हुई है जो कि शामिल पत्रावली है। गवाहान की शहादत अंकित है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी की तलबी एडमिट की जाती है। अप्रार्थीया की और से अधिवक्ता सीएम जणवा हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली रहे। हाजिर अधिवक्ता सीएम जणवा ने अप्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया अपने हक व हिस्से की मुआवजा राशि पारिवारिक निजी आवश्यकता होने से प्राप्त करना चाहती हूॅ अब वर्तमान में मैसर्स वण्डर सीमेंट लिमिटेड एवं प्रार्थीया के मध्य उपरोक्त मुआवजा राशि को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली है। प्रार्थना पत्र रिकार्ड पर लिया जाता है। नकल वकील प्रार्थी को दिलवाई गई। हाजिर वकील प्रार्थी ने मुआवजा राशि का भुगतान अप्रार्थीया को कराये जाने की किसी भी प्रकार का उज्र नहीं होना जाहिर किया है। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र का चिंतन–मनन किया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णित प्रकरण संख्या 134/2020(रे.वि.) निर्णय दिनांक 16.02.2021 अन्तर्गत धारा 89(2) एवं (04) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत निर्धारित मुआवजा राशि का अप्रार्थीया को भुगतान करना चाहती है एवं अप्रार्थीया अब मुआवजा राशि का भुगतान प्राप्त करना चाहती है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या प्रकरण संख्या 134/2020(रे.वि.) निर्णय दिनांक 16.02.2021 अन्तर्गत धारा 89(2) एवं (04) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत निर्धारित मुआवजा राशि अप्रार्थीया को दिलवाया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः हस्तगत प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाना उचित प्रतीत होता है। फलत् हस्तगत प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा पत्रांक/राजस्व/2021 /1364 दिनांक 29.12.2021 से न्यायालय हाजा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत रूपये 12,10,056/- अक्षरे अक्षरे बारह लाख दस हजार छप्पन रूपये मात्र का चैक संख्या 016910 तादादी रूपये 12,10,056/- दिनांक 12.03.2021 जो कि अप्रार्थीया संतोष बाई सालवी के नाम पर जारी किया गया है जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है उक्त चैक तहसीलदार निम्बाहेडा को मूल ही लौटाया जावें एवं चैक की छाया प्रति रिकार्ड पर रखी जावें एवं प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेडा को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय आदेश दिनांक 16.02.2021 अनुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करावें। तहसीलदार निम्बाहेडा को तहरीर जारी करें। पत्रावली की पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। -S/d- (अरविन्द कुमार पोसवाल) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 04.05.2022	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official